52

उत्तराखण्ड शासन
श्रम एवं सेवायोजन विभाग
संख्या 176/ VIII / 680 (श्रम) /2002 T.C
देहरादून 02 फरवरी 2015

अधिसूचना

श्री राज्यपाल,उत्तराखण्ड भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम–266 के उप नियम (2) में निम्नवत् संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 प्रतिस्थापित उपनियम
नियम–266:उप नियम (2) आवेदन –पत्र के साथ आयु संबन्धी प्रमाण के रूप में अधोलिखित विनिर्दिष्ट हों – (i) विद्यालय से प्राप्त अभिलेख, (ii)जन्म तथा मृत्यु रजिस्ट्रार से प्राप्त प्रमाण–पत्र (iii) उपरोक्त प्रमाण–पत्रों के न होने पर किसी चिकित्साधिकारी का प्रमाण–पत्र, जो शासकीय सेवा में सहायक शल्य चिकित्सक की पंक्ति से नीचे न हो।	नियम–266:उप नियम (2) आवेदन –पत्र के साथ आयु संबन्धी प्रमाण के रूप में अधोलिखित विनिर्दिष्ट हों – (i) विद्यालय से प्राप्त अभिलेख, (ii)जन्म तथा मृत्यु रजिस्ट्रार से प्राप्त प्रमाण–पत्र (iii) किसी चिकित्साधिकारी का प्रमाण–पत्र, जो शासकीय सेवा में सहायक शल्य चिकित्सक की पंक्ति से नीचे न हो, (iv) नोटरी द्वारा सत्यापित निर्माण श्रमिक का शपथ –पत्र, (v) वोटर पहचान –पत्र (vi) राशन कार्ड, (vii) ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम प्रधान अथवा पार्षद द्वारा जारी प्रमाण–पत्र

(आर0 के0 सुधांशु)
सचिव।

संख्या 176/ VIII / 680 (श्रम) /2002 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2.आयुक्त,कुमाऊँ मण्डल , नैनीताल,/गढ़वाल मण्डल ,पौड़ी।
3.समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4.श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, हल्द्वानी ,नैनीताल।
5.अपर /उप श्रमायुक्त , उत्तराखण्ड।
6.समस्त सहायक श्रम आयुक्त,उत्तराखण्ड।
7.उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को आगामी असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करते हुए 50 प्रतियाँ शासन को तथा 50 प्रतियाँ श्रम आयुक्त ,उत्तराखण्ड हल्द्वानी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8.गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(रमेश कुमार)
संयुक्त सचिव।

डायरी सं० 89
दि० 06/02/15